संख्या:32/2026/508/35-4-2026/35-4002(003)/33/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 29 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद- गोण्डा में निम्नलिखित कार्यों की **रू. 4997.92 लाख** (रूपये उनचास करोड सत्तानबे लाख बानबे हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **रू. 2398.00 लाख** (रूपये तेईस करोड अट्ठानबे लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तालिका के प्रत्येक कार्य के सम्मुख नामित कार्यदायी संस्था अंकित है:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	ग्राम पंचायत कड़रू में बरईनपुरवा मार्ग पर रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.73	28.97	14.00	ग्रा.अ.वि.
2	ग्राम पंचायत सुसुण्डा में रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.6	28.22	14.00	ग्रा.अ.वि.
3	ग्राम पंचायत चरौंहा के जरौली डीहा मार्ग का निर्माण कार्य।	0.55	28.43	14.00	ग्रा.अ.वि.
4	मंगुरा छगुरियनपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	76.83	37.00	ग्रा.अ.वि.
5	ग्राम पंचायत ठकुरापुर बालगोविन्दपुरवा से नरायनपुर सीमा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.65	41.43	20.00	ग्रा.अ.वि.
6	करनैलगंज फत्तेपुर कुटेहना मार्ग से साहब बन्दगी आश्रम तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.65	44.05	21.00	ग्रा.अ.वि.
7	सी0बी0एन0 मार्ग से गोनई गोसाईपुरवा में रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.57	21.13	10.00	ग्रा.अ.वि.
8	सरैया दक्षिण पुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1.00	61.13	29.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य।				
9	कचनापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	64.68	31.00	ग्रा.अ.वि.
10	रमवापुर धनुही सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.6	37.93	18.00	ग्रा.अ.वि.
11	बालपुर सरैंया सम्पर्क मार्ग से कम्पोजिट विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9	55.9	27.00	ग्रा.अ.वि.
12	रसूलपुर खान मुख्य रोड से मुन्नालाल यादव के गांव रसूलपुर खास तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	23.19	11.00	ग्रा.अ.वि.
13	बखरवा नारापार कठौवा पिच रोड से दलित बस्ती शशिकान्त भारती के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.55	28.35	14.00	ग्रा.अ.वि.
14	चन्द्रदीप घाट बस्तीखास मार्ग से बकुई गांव रामरूप तेली (गुप्ता) गांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	24.18	12.00	ग्रा.अ.वि.
15	मझौवातोग लोक निर्माण विभाग मार्ग से सबना स्व0 तिलक राम वर्मा के गांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.6	28.26	14.00	ग्रा.अ.वि.
16	खम्हरिया लोक निर्माण विभाग मार्ग से ईटवाखुर्द का अवशेष भाग पश्चिमडीह घनष्याम पाण्डेय के गांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.7	36.15	17.00	ग्रा.अ.वि.
17	कलेनिया मुख्य मार्ग पेट्रोल पम्प के सामने से कल्लू तिवारी के घर होते हुये पोखर भिटवा सम्पर्क मार्ग पर रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	23.9	11.00	ग्रा.अ.वि.
18	छपिया मन्दिर मार्ग से दीननगर बाबूलाल के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.55	28.35	14.00	ग्रा.अ.वि.
19	केषवनगर ग्रन्ट पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से चांदपुर पूर्व से भागीरथी पासवान के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	23.5	11.00	ग्रा.अ.वि.
20	बरहरपुर पिच रोड से कहारपुरवा मोल्हू के गांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	25.86	12.00	ग्रा.अ.वि.
21	कूकनगर ग्रन्ट नारापार पवन भट्ठा पिच रोड से छविलाल बढ़ईडीह तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.6	31.28	15.00	ग्रा.अ.वि.
22	कूकनगर ग्रन्ट हरदौनी चौराहा से सुखदेव डीह विजय मार्ग के गांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	23.54	11.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

23	मोकलपुर पिच रोड से राम अभिलाख प्रधान गावं सीरापार तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	23.42	11.00	ग्रा.अ.वि.
24	दौलतपुर ग्रन्ट ओ0डी0आर0 मार्ग से दौलतपुर खास राजू निशाद के गांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	22.96	11.00	ग्रा.अ.वि.
25	बखरौली पिच रोड अनिल वर्मा के गांव भुईगांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	23.42	11.00	ग्रा.अ.वि.
26	कर्मा जू0 हाईस्कूल से यादवपुरवा होते हुये जिलेदार वर्मा के गांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	23.45	11.00	ग्रा.अ.वि.
27	सोनहवा पिच रोड से राजेन्द्र वर्मा लेखपाल के गांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	24	12.00	ग्रा.अ.वि.
28	बस्ती खास पिच रोड से लोनियनडीह रामपत्तर राजभार के गांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.55	28.52	14.00	ग्रा.अ.वि.
29	सिंसईरानी पिच रोड से बढ़ईपुरवा तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	22.94	11.00	ग्रा.अ.वि.
30	खुटिहन पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से बहेरी माफी अशोक मार्ग के गांव तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	26.03	12.00	ग्रा.अ.वि.
31	ग्राम हरनाटायर के लालापुरवा में श्री अमरनाथ तिवारी के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	22.59	11.00	ग्रा.अ.वि.
32	ग्राम पंचायत बनघुसरा पचपेड़वा में महाराजा देवी बक्ष सिंह महाविद्यालय सी0सी0 रोड से पंचायत भवन होते हुये स्व0 मोती कोरी के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	22.2	11.00	ग्रा.अ.वि.
33	प्रधानमंत्री सड़क से पतिराज के घर होते हुये नौडिहवा कटहर बुटाहनी तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.55	26.16	13.00	ग्रा.अ.वि.
34	ग्राम पंचायत निरिया में निरिया मखदूनपुर मार्ग से जोखू मौर्या व हितेष सिंह के घर होते हुये कासिमगंज मार्ग तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.68	30.8	15.00	ग्रा.अ.वि.
35	ग्राम चकषिवरहा में संजय सिंह के घर से जुगनू के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.53	24.78	12.00	ग्रा.अ.वि.
36	ग्राम हरनाटायर के बनकटवा में पक्की सड़क से पारसनाथशुक्ला के खेत तक रबरमोल्ड	0.51	27.36	13.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।				
37	परमापुर खालेपुरवा पक्की सड़क से भोलानाथ मिश्रा के घर होते हुये रामलगन गोंसाई के घर मार्ग पर रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.59	26.2	13.00	ग्रा.अ.वि.
38	जिगना अधिंयारी मेन रोड से बेनीरामपुरवा में हरीराम, सियाराम वर्मा साबिर के घर होते हुये धनन्जय सिंह के घर रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	22.93	11.00	ग्रा.अ.वि.
39	किसुनदासपुर दुर्जनपुर मार्ग से ग्राम टिकरी खास में श्री संतोश सिंह प्रधान व केहर सिंह के घर होते हुये इण्टरलाकिंग तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.55	25.63	12.00	ग्रा.अ.वि.
40	अधियांरी जिगना मेन रोड से मधईपहुर नहर पुल तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.52	24.46	12.00	ग्रा.अ.वि.
41	ग्राम उपाध्यायपुर ग्रन्ट में मेचुका से मिश्रनपुरवा पवन कुमार मिश्रा, मुरलीधर के घर होते हुये राम उजागर के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.6	29.31	14.00	ग्रा.अ.वि.
42	ग्राम बिटिया में राम औतार चौहान के घर के आगे आर0सी0सी0 पुलिया से रामलायक के घर होते हुये राजेन्द्र दूबे के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.65	28.13	14.00	ग्रा.अ.वि.
43	टिकरी गढ़ी मार्ग से कम्पोजिट विद्यालय दौलतपुर होते हुये श्री राममणि पाण्डेय के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.6	28.06	13.00	ग्रा.अ.वि.
44	ग्राम गनेषपुर ग्रन्ट बैरिहवा सालिक के घर से ओम प्रकाष मिश्रा के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	0.5	20.83	10.00	ग्रा.अ.वि.
45	वजीरगंज झिलाही मेन रोड से ग्राम इटरौर में विशाल सिंह के घर होते हुये पटीथ पक्की सड़क तक लेपन स्तर कार्य।	0.85	57.15	27.00	ग्रा.अ.वि.
46	ग्राम साहिबापुर में गोण्डा मेन रोड से लालकिषोर पाण्डेय के घर तक लेपन स्तर कार्य।	0.5	31.89	15.00	ग्रा.अ.वि.
47	गोहन्ना प्रधानमंत्री सड़क से साबिर के घर होते हुये पक्की सड़क तक लेपन स्तर कार्य।	0.85	50.9	24.00	ग्रा.अ.वि.
48	विकास खण्ड वजीरगंज के ग्राम पंचायत परसिया में परसिया नयपुर मार्ग से संजय पाण्डेय के घर तक लेपन स्तर कार्य।	1.1	64.55	31.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

49	उमरी नवरंग पुरवा सम्पर्क मार्ग से विंध्या तिवारी पुरवा में आशाराम तिवारी के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.5	21.7	10.00	ग्रा.अ.वि.
50	ग्राम पंचायत जफरापुर डीहा में बृजेष सिंह के घर से विनोद कुमार सिंह के घर होते हुए काली जी के स्थान के आगे तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.51	27.26	13.00	ग्रा.अ.वि.
51	ग्राम पंचायत गोपीपुर के पूरे उमापति पंडित पुरवा में पक्की सड़क से जानकी प्रसाद पाण्डेय के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.54	26.69	13.00	ग्रा.अ.वि.
52	ग्राम पंचायत मनहना गड़ौली पक्की सड़क से अम्मर पुरवा होते हुए पुनः पक्की सड़क तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.8	39.92	19.00	ग्रा.अ.वि.
53	ग्राम पंचायत बहादुरपुर के प्रधानमंत्री सड़क से अनिल सिंह, दुश्यन्त सिंह, वेदप्रकाष सिंह के घर होते हुए दयाषंकर के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.52	22.61	11.00	ग्रा.अ.वि.
54	ग्राम पंचायत साकीपुर केशुक्लनपुरवा में प्राथमिक विद्यालय के सामने से कुंवर बहादुरशुक्ला, सामुदायिकशौचालय होते हुए अभिशेक के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.66	32.24	15.00	ग्रा.अ.वि.
55	ग्राम पंचायत तुलसीपुर में नवाबगंज ढेमवाघाट मार्ग सेशिवकुमार लाला के घर होते हुए पक्की सड़क तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.6	29.62	14.00	ग्रा.अ.वि.
56	ग्राम पंचायत तुलसीपुर के फार्म नं0 1 पर पक्की सड़क से कात्यायिनी माता मन्दिर होते हुए रामलाल प्रजापति के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.5	24.62	12.00	ग्रा.अ.वि.
57	ग्राम पंचायत लौव्वावीरपुर में बेचई पुरवा पक्की सड़क से गब्बर, अशोक मिश्रा के घर होते हुए पक्की सड़क तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.6	29.49	14.00	ग्रा.अ.वि.
58	ग्राम पंचायतशोभापुर में नवाबगंज गोण्डा नवाबगंज मार्ग से ज्ञान गायत्री स्कूल होते हुए लौव्वावीरपुर सरहद काली माता मन्दिर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.73	39.15	19.00	ग्रा.अ.वि.
59	ग्राम पंचायत रूपीपुर के मजरा तिवारीपुरवा में पक्की सड़क हनुमान मन्दिर से काली स्थान रामसुन्दर सिंह के घर होते हुए पक्की सड़क तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.53	23.61	11.00	ग्रा.अ.वि.
60	ग्राम पंचायत गेड़सर के पयासीपुरवा में अन्नू मिश्रा के घर से कमला तिवारी, रघुनाथ मिश्रा के	0.58	27.15	13.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	घर होते हुए जोरदार के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।				
61	ग्राम पंचायत गेड़सर के हरिद्वार तिवारी पुरवा में दिग्विजिय तिवारी के घर से दूधनाथ यादव के घर होते हुए पंडित पुरवा राधिका प्रसाद मिश्रा के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.5	24.68	12.00	ग्रा.अ.वि.
62	ग्राम पंचायत मनहना में तरबगंज अमदही बंधा मार्ग से घीसी राम पुरवा तक लेपन स्तर कार्य।	0.5	29.5	14.00	ग्रा.अ.वि.
63	ग्राम पंचायत सौनौली मोहम्मदपुर के घटहन पुरवा में पक्की सड़क से जगजीवन के घर होते हुए किसुन गोडिया के घर तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग कार्य।	0.78	39.28	19.00	ग्रा.अ.वि.
64	विकास खण्ड-तरबगंज में ग्रामसभा कंडौरा में कंडौरा चौराहा से नाऊ टोला तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.75	35.86	17.00	ग्रा.अ.वि.
65	ग्राम सभा चरहुंवा, विषुनपुर सम्पर्क मार्ग से सिपाही लाल बाबा के घर गोंसाईपुरवा रोड तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1.15	64.77	31.00	ग्रा.अ.वि.
66	सकरौरा ग्रामीण छतईपुरवा हुजुरपुर रोड सम्पर्क मार्ग से अशोक ओझा के घर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.85	55.99	27.00	ग्रा.अ.वि.
67	ग्राम सभा दुर्जनुपर में नवाबगंज कर्नलगंज मार्ग पर अमरनाथ पाण्डेय के दुकान से केशवनाथ पाण्डेय के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5	30.96	15.00	ग्रा.अ.वि.
68	सेल्हरी गांव में असरना सम्पर्क मार्ग से कालीपुरवा तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.8	50.93	24.00	ग्रा.अ.वि.
69	आर्यनगर पृथ्वीनाथ मार्ग से गोमतीपुरवा तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1	63.45	30.00	ग्रा.अ.वि.
70	तिर्रेमनोरमा सडक़ से बाकेपुरवा तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.85	47.51	23.00	ग्रा.अ.वि.
71	ग्रामसभा रामपुर टेंगरहा डीहा काली स्थान से भगवान प्रसाद सिंह के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.85	49.72	24.00	ग्रा.अ.वि.
72	ग्राम पंचायत पलिया चरौठा, राजाराम चौराहा से बहादुर के पहले चरौठा भगवानदीन पाण्डेय के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.65	34.48	17.00	ग्रा.अ.वि.
73	ननकू के घर से गोकरन यादव के घर हेाते हुये पक्की सड़क तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.95	59.97	29.00	ग्रा.अ.वि.
74	राजगढ पेन्टेड रोज से शिवानगर भटपुरवा होते हुये मोतीगंज बगुलही मार्ग तक सम्पर्क मार्ग तक निर्माण तक।	1.00	77.24	37.00	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

75	महराजगंज आर्यनगर मुख्य मार्ग से रामचरन पुरवा होते हुए जमुनही हरदोपट्टी (पी0एम0जी0एस0 वाई0) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	71.56	34.00	लो0नि0वि0
76	ढुढाव मुख्य मार्ग से भरीवा ग्राम में राम कृपाल के खेत से ज्वाला वर्मा के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.85	64.08	31.00	लो0नि0वि0
77	ग्रामनगर अर्जुन बनकटी सम्पर्क मार्ग से कंचनपुर एंव रसियावन ग्राम एंव मनिहार ग्राम तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.4	89.16	43.00	लो0नि0वि0
78	गोण्डा बलरामपुर मुख्य से बेलवा कर्मडीह में मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग	1.2	76.35	37.00	लो0नि0वि0
79	सेनबरसा मोतीगंज मुख्य मार्ग से कपसा होते हुये कंसडा सम्पर्क मार्ग का निमार्ण कार्य।	1.1	63.79	31.00	लो0नि0वि0
80	पंचमुखी मंन्दिर से राजगढ झिलाही मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1	58.63	28.00	लो0नि0वि0
81	परसा गोड़री पक्की रोड से नदईपुरवा (दक्षिणी) अवधराम मिश्रा पूर्व बी0डी0सी0 के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.68	41.25	20.00	ग्रा.अ.वि.
82	ग्राम कटरा चन्दवतपुर मार्ग पर ग्राम धोबहाराय में भुसैला चौराहे से लोहारनपुरवा गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.55	37.88	18.00	ग्रा.अ.वि.
83	ग्राम परसिया रानी में प्रधानमंत्री सड़क से बगिया गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.23	97.83	47.00	ग्रा.अ.वि.
84	ग्राम महापारा में पवेरवा प्रधानमंत्री सडक़ से कलवारनपुरवा में कन्हैयाला जायसवाल के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.51	26.95	13.00	ग्रा.अ.वि.
85	ग्राम पैड़ीबरा में नहर पटरी उमरिया माइनर पर ब्रहमबाबा स्थान सेशिवदासपुरवा, बढ़ईपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.62	37.31	18.00	ग्रा.अ.वि.
86	ग्राम बरांव के गड़रियनपुरवा से तिवारीपुरवा होते हुये गौरवाकला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.83	51.91	25.00	ग्रा.अ.वि.
87	ग्राम बरांव में मुन्नालालशुक्ला के घर से बरांव मनिकापुर सम्पर्क मार्ग से होते हुये सदाशिव मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण काय्र।	0.92	58.69	28.00	ग्रा.अ.वि.
88	ग्राम कटरा चन्दवतपुर मार्ग से रायपुर फकीर में विषुनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.52	29.55	14.00	ग्रा.अ.वि.
89	ग्राम चकसेनिया में नटवीर बाबा स्थान से गड़रियनपुरवा वशिलाल पाल के घर तक सम्पर्क	0.57	35.76	17.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	मार्ग का निर्माण कार्य।				
90	कौड़िया डिबाई नहर पटरी पर जोरावर-ठडक्की से मल्लापुर उसरैना के अवशेष भाग में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.15	90.77	44.00	ग्रा.अ.वि.
91	ग्राम पंचायत लम्ती उकरहवा के झलमलपुरवा में भोला के घर पेचई, रंगई वर्मा पक्की सड़क होते हुये बनकटी तक लेपन स्तर कार्य।	1.31	98.76	47.00	ग्रा.अ.वि.
92	गोण्डा उतरौला मुख्य मार्ग से कलन्दरपुरवा होते हुये भोरहापुरवा तक मार्ग पर लेपन स्तर कार्य।	1.1	83.7	40.00	ग्रा.अ.वि.
93	विकास खण्ड छपिया के ग्राम पंचायत बहिराडीहा में बाबू दुर्गा प्रसाद महाविद्यालय से ग्राम पंचायत गुरूगांव के मजरा छोटका मझवा व बड़का मझवा तक मार्ग पर लेपन स्तर कार्य।	1.6	98.23	47.00	ग्रा.अ.वि.
94	गोण्डा भदुवा तरहर मार्ग से करनीपुर सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर कार्य।	0.9	69.81	34.00	ग्रा.अ.वि.
95	गोण्डा बहराइच मार्ग से गोंसाईपुरवा होते हुये महादेव भट्ठा के आगे तक मार्ग पर लेपन स्तर कार्य।	0.93	62.1	30.00	ग्रा.अ.वि.
96	ग्राम पंचायत कटहर बुटहनी में हरीराम के दुकान से काली माता स्थान होते हुये जंगल सरहद पक्की सड़क तक लेपन स्तर कार्य।	1.5	75.68	36.00	ग्रा.अ.वि.
97	गोण्डा लखनऊ मार्ग से पंतनगर चौराहा, पकड़िया चौराहा बी0एस0ए0 ऑफिस होते हुये विकास भवन चौराहे तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1.45	432.69	208.00	ग्रा.अ.वि.
98	नन्दा माता सड़क से गोसाईपुरवा तक सड़क का नवनिर्माण कार्य।	0.5	29.58	14.00	ग्रा.अ.वि.
99	ग्राम बूढ़ादेवर में बाबाकुट्टी से बगिया गांव तक सड़क निर्माण कार्य।	0.79	34.19	16.00	ग्रा.अ.वि.
100	गोण्डा तरबगंज मार्ग से फकीरनपुर पुरवा होते हुये गोण्डा डेहरास मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1.85	397.77	191.00	ग्रा.अ.वि.
101	ग्राम सभा सकरौरा में शंकरपुरवा मार्ग से पुरईपुरवा तेपरहनपुरवा होते हुए मत्तूपुरवा सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	1.9	131.61	63.00	ग्रा.अ.वि.
	योग:	**75.5**	**4997.92**	**2398.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 23,98,00,000/-(रूपये तेईस करोड अट्ठानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370301-ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के लिये लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:32/2026/508(1)/35-4-2026/35-4002(003)/33/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोण्डा।
15- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोण्डा।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।